झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–20/2021–2414 व०प०, राँची, दिनांक– 18/08/2022

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

वैज्ञानिक 'डी',
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषय :– **Proposal for non-forestry use of 299.64 ha, comprising of 166.00 ha and 133.64 ha of forest land for Polpol Kalan PF of Khundri Range, Medininagar Forest Division for Relocation of Kujrum, Latu & other villages from Palamu Tiger Reserve, Daltonganj, Jharkhand-reg.**

प्रसंग :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–F.No. 8-35/2021-FC दिनांक–07.07.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर के ज्ञापांक–760 दिनांक–27.07.2022 द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की छायाप्रति संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र द्वारा की गई पृच्छा संख्या–(i) के संबंध में R&R Plan की प्रति विभागीय पत्रांक–1598 दिनांक–08.06.2022 एवं पत्रांक–1599 दिनांक–08.06.2022 द्वारा पूर्व में भेजे गये निराकरण प्रतिवेदन के साथ संलग्न प्रतिवेदन पुस्तिका के अनुलग्नक–H पर संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही इसकी Soft Copy परिवेश पोर्टल पर Additional Information कॉलम में भी upload की गई है।

पृच्छा संख्या–(ii) के संबंध में उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर द्वारा प्रतिवेदित है कि परिवेश पोर्टल के Additional Information कॉलम में .pdf फाईल ही upload किये जा सकते हैं, इसलिए भारत सरकार के पत्र दिनांक–16.02.2022 द्वारा की गई पृच्छा संख्या–(vi) के अनुपालन में कुजरूम एवं लाटू के पुनर्स्थापन के उपरांत खाली होने वाली वनभूमि के .kml/shape फाईल तथा DGPS फाईल सी०डी० में निराकरण प्रतिवेदन के साथ भारत सरकार को पूर्व में भेजी जा चुकी है।

वर्णित स्थिति में विषयक प्रस्तावों पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

18/8/2022

(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- forestjhr@gmail.com

ज्ञापांक–वन भूमि–20 / 2021– 2414 व०प०, राँची, दिनांक– 18/08/2022

प्रतिलिपि–वन उप महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक, राँची–834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

18/8/2022

उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–20 / 2021– 2414 व०प०, राँची, दिनांक– 18/08/2022

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर, पलामू–822101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8/2022

उप परामर्शी।

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- forestjhr@gmail.com

35

कार्यालयः— उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

Ph.No.-06562 295573 E.mail-dfo-ptrsouth@gov.in

पत्रांक : दिनांक :

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर।

विषय :— पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से वनग्राम कुजरूम एवं लाटू के स्वैच्छिक पुनर्स्थापन हेतु आवेदित वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 07 जुलाई 2022।

महाशय,

पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से वनग्राम कुजरूम एवं लाटू के स्वैच्छिक पुनर्स्थापन हेतु मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अंतर्गत पोलपोल में कुल 133.64 हेक्टेयर (प्रस्ताव सं० FP/JH/FVC/46701/2020) तथा लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत लाई–पैलापत्थल में कुल 166.00 हेक्टेयर (प्रस्ताव सं० FP/JH/FVC/146641/2021) (कुल 299.64 हे०) वनभूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा गया था।

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वन संरक्षण संभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 07 जुलाई 2022 को पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से वनग्राम कुजरूम एवं लाटू के स्वैच्छिक पुनर्स्थापन हेतु आवेदित वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में पुनः दो बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। इस संबंध में बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नवत् है :—

बिन्दु संख्या 01 : Copy of R & R Plan along with additional information, as requested earlier, has not been submitted by the State.

अनुपालन : R & R Plan की प्रति झारखण्ड राज्य पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2008 के अनुरूप विहित प्रपत्र में तैयार कर माह अप्रैल में प्रेषित अनुपालन प्रतिवेदन पुस्तिका के अनुलग्नक– H पर पृष्ठ संख्या 28 से 60 तक संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही परिवेश पोर्टल पर भी Additional Information कॉलम में इसकी सॉफ्ट कॉपी में संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है। अतः इसे अनुपालित समझी जाय।

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं० 3465
05 AUG 2022
झारखण्ड, राँची।

बिन्दु संख्या 02 : KML/ Shape files of the area being vacated by the villages has not been submitted along with the additional information. Digital differential GPS map of the area being vacated, clearly depicting the area under settlement and nistar rights need to be provided.

अनुपालन : परिवेश पोर्टल के Additional Information कॉलम में केवल .pdf फाइल ही अपलोड किये जा सकते हैं। इसलिये वन संरक्षण संभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माह फरवरी 2022 में किये गए पृच्छा के अनुपालन में

39

कुजरूम एवं लाटू वनग्राम के पुनर्स्थापन के उपरांत खाली होने वाली वनभूमि के .kml/ shape फाइल तथा Differential GPS फाइल हार्ड कॉपी के पिछले पृष्ठ पर सीडी में प्रेषित किया गया है तथा माह अप्रैल में प्रेषित अनुपालन प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या – iv पर इसका उल्लेख कर दिया गया है। अतः इसे अनुपालित समझी जाय।

आपका विश्वासी

ह०/-

उप निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना,
दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक : **दिनांक :**

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक – सह – कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ सपर्पित।

आपका विश्वासी

ह०/-

उप निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना,
दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक : 760 **दिनांक :** 27/07/2022

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ सपर्पित।

आपका विश्वासी

27/7/2022

उप निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना,
दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।